न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74/2016

1 अनिल कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम उम्र 32 वर्ष जाति मेघवाल निवासी कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 प्रसादाराम पुत्र रामचन्द्र उम्र 49 वर्ष जाति माली निवासी ढाणा तन सिघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2 सरबती स्त्री बहादुरमल उम्र 54 वर्ष
3 जगमाल पुत्र बहादुरमल
4 रामपाल पुत्र बहादुरमल
5 राकेश पुत्र बहादुरमल
6 सुमन पुत्री बहादुरमल
7 मंजु पुत्री बहादुरमल
8 पूर्णमल पुत्र गुगनराम
9 भगवानाराम पुत्र भाताराम
10 अर्जुन पुत्र श्योनारायण
समस्त जातिगण गुर्जरान निवासीगण कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
11 छैलाराम पुत्र भाताराम
12 चिडिया पुत्री स्व. भाताराम
13 बाला पुत्री स्व. भाताराम
समस्त जातिगण गुर्जरान निवासीगण कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

14 सुण्डाराम पुत्र रामलाल
15 रामकुमार पुत्र हनुमान
16 बनवारी पुत्र हनुमान
17 श्रीराम पुत्र हनुमान
18 रोताश पुत्र हनुमान
19 प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी अनिल कुमार बनाम सरबती वगैरह मु.नं. 08/2013 अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2016

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने वाद खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 90, 91, 102, 103, 104, 105, 106, 138, 439, 440 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया एवं मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष की सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत एवं तस्दीक किये गये राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर